



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 578]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 703(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (7) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) भर्ती नियम, 2018 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) भर्ती, संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) भर्ती नियम, 2018 में उप महाप्रबंधक पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने अनुसूची में,

(i) स्तंभ 10 में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित” रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ 11 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्,

“प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक संविदा सहित

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों और मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों तथा कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी।

- (i) नियमित आधार पर समतुल्य सदृश पद धारण करते हो; या
(ii) स्तर 10 में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य।

वांछनीय: कंपनी अधिनियम का ज्ञान रखने वाले और प्रशासनिक या स्थापना संबंधी मामलों का अनुभव।”

[फा.सं. 05/05/2014-आईईपीएफ (भाग)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 793(अ), तारीख 21 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किये गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R . 703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Deputy General Manager, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant (SSA) and Junior Secretariat Assistant (JSA)) Recruitment Rules, 2018 :

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Deputy General Manager, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant (SSA) and Junior Secretariat Assistant (JSA)) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Deputy General Manager, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant (SSA) and Junior Secretariat Assistant (JSA)) Recruitment Rules, 2018; in the Schedule against serial number (1) relating to the post of Deputy General Manager,

(i) in column 10, for the entry, the entry “Deputation including short-term contract”, shall be substituted;

(ii) in Column 11, for the entry, the following entry shall be substituted namely:-

“Deputation including short-term contract.

Officers of the Central Government, State Governments, Union territories and recognized research institutes and Public Sector Undertakings and Statutory or Autonomous Organisations.

(i) holding analogous post on regular basis or equivalent; or

(ii) a post in Level-10 with five years regular service or equivalent.

Desirable: Having Knowledge of the Companies Act and experience in administrative or Establishment matters”.

[F.No. 05/05/2014-IEPF (PT)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II section 3 sub-section (i) *vide* number G.S.R. 793(E) dated 21st August, 2018.